न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर (अतिरिक्त कार्यभार पाली)
पीठासीन अधिकारी : मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 30/2021

अपीलांट

1. मुकेश पुत्र रामा
2. सुरेश पुत्र रामा
3. रूपा पुत्र रामा
4. गिरधारी पुत्र रामा
5. राजू पुत्र रामा
6. सोहिनी पत्नी रामा जाति तेली निवासी बलाडा, तहसील जैतारण जिला पाली

बनाम

रेस्पोडेन्टगण

1. सोहन पुत्र घीसा
2. श्यामलाल पुत्र घीसा
3. सुखी देवी बेवा सुआलाल पौत्र घीसा
4. दिनेश पुत्र सुआलाल पौत्र घीसा
5. लक्ष्मी पत्नी मोहनलाल पौत्रवधु घीसा
6. चान्दा देवी पत्नी भवरू उर्फ भंवरलाल पौत्रवधु घीसा
7. कमला पत्नी सोहनलाल तमाम जातिगण तेली, निवासी बलाडा, तहसील जैतारण, जिला पाली(राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री मोहम्मद शरीफ काजी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री नारायण कुमावत, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 06 बावजूद सूचना अनुपस्थित

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

–: निर्णय :–

दिनांक : 15.06.2023

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 144/2012 बउनवान सोहन बनाम भवरू मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.01.2015 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 06 बावजूद सूचना अनुपस्थित। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 05 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी ग्रम बलाडा के खसरा नंबर 763 रकबा 14 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 772 रकबा 14 बीघा 6 बिस्वा एवं खसरा नंबर 1045 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा कुल रकबा 38 बीघा के संबध मे प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी घीसा पुत्र इमरता की खातेदारी थी एवं घीसा के देहान्त के पश्चात वादग्रस्त आराजी खातेदारी मे 1/3 हिस्सा भवरू एवं रामा के नाम दर्ज हो गई। जो कि विधि विरूद्ध है। वादग्रस्त आराजी के वादीगण भी कब्जेदार व हिस्सेदार है। इस कारण से 1/3 हिस्से मे घीसा के पुत्र सोहन, श्यामलाल, सुआलाल व मोहनलाल का नाम रेकर्ड दुरूस्त कर दर्ज किया जावे। वादी सुआलाल एवं मोहनलाल का देहान्त हो जाने से वादी 02 व 03 सुआलाल के वारिसान एवं वादी संख्या 04 लक्ष्मी मोहनलाल की पत्नी होने के नाते उसकी वारिसान है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणो को सम्मन जारी किये जाने का आदेश प्रदान किया गया। उसके पश्चात भवरू के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपीलांट के पूर्वज रामा की ओर से राजीनामा बताकर वाद को कैम्प मे निस्तारित कर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। जिसके विरूद्ध अपीलांटगण द्वारा उक्त अपील हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमन अधिनियम पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट के पिता का देहान्त दिनांक 29.12.2018 को हुआ एवं अपीलांटगण ब्यावर मे निवास करते है। अपीलांट अपने पिता के देहान्त के पश्चात द्वितीय सप्ताह मार्च 2021 मे म्यूटेशन स्वंय के नाम दर्ज करवाने हेतु हल्का पटवारी के पास गये तब यह जानकारी हुई कि उक्त भूमि मे रेस्पोडेन्ट का नाम खातेदारी मे दर्ज कर दिया है एवं इस पर अपीलांट द्वारा पाली आकर म्यूटेशन हेतु दिनांक 12.03.2021 को प्रार्थना पत्र पेश किया एवं इसी दिन नकल प्राप्त की। तत्पश्चात अपीलांट को न्यायालय के आदेश से म्यूटेशन भरे जाने की जानकारी हुई। उसके पश्चात अपीलांट द्वारा दिनांक 15.03.2021 उपखंड अधिकारी जैतारण के समक्ष नकल आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त नकल प्राप्त होने के पश्चात अपीलांट अपने अधिवक्ता से मिलने ब्यावर गया जिस पर अधिवक्ता द्वारा अपील करने बाबत सलाह दी गई। किन्तु पैसो का बंदोबस्त नहीं होने के कारण अपीलांट दिनांक 20.04.2021 तक अपील करने पाली नहीं आ सका। उसके पश्चात कोविड 19 की महामारी होने से तालाबंदी हो गई एवं न्यायालय का कार्य दिनांक 05.07.2021 से ही शुरू हुआ। उसके पश्चात रूपयो–पैसो का बंदोबस्त कर आज दिनांक 15.07.2021 को अधिवक्ता से संपर्क कर अपील तैयार करवाई गई एवं उक्त अपील श्रीमान जी के न्यायालय मे जानकारी से अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की गई। अपीलांट द्वारा जानबूझकर अपील प्रस्तुत करने मे देरी नहीं की गई है एवं न ही लापरवाही की गई है। देरी का युक्तियुक्त व सद्भाविक कारण है। रेस्पोडेन्टगण द्वारा अपनी भूमि पंजीयन बेचान के जरिये हस्तानांतरण कर दी गई। उसके पश्चात झूठे तथ्यो के आधार पर वाद पेश किया गया एवं प्रकरण मे समस्त तथ्यो को छुपाकर फर्जी राजीनामे के आधार पर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित करवाई गई है। जो कि शुरू से ही शून्य है। अपीलांट उक्त अपील को गुणवागुण पर निस्तारित करवाना चाहता है। अत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर म्याद शुमार फरमाई जावे।

उसके पश्चात अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 05 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी ग्राम बलाडा के खसरा नंबर 763 रकबा 14 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 772 रकबा 14 बीघा 6 बिस्वा एवं खसरा नंबर 1045 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा कुल रकबा 38 बीघा के संबध मे प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर ग्राम बलाडा के खसरा नंबर 763 रकबा 14 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 772 रकबा 14 बीघा 6 बिस्वा एवं खसरा नंबर 1045 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा कुल रकबा 38 बीघा स्वर्गीय घीसा पुत्र इमरताजी की खातेदारी भूमि थी, जो जमाबंदी संवत 2036 से 2039 मे दर्जशुदा है। उक्त संपूर्ण आराजी के खातेदार घीसाजी थे। घीसाजी के देहान्त के पश्चात नामान्तरण संख्या 695 दिनांक 02.05.1985 के जरिये फौतगी म्यूटेशन घीसा के वारिसान भवरू, रामा, सोहन, श्यामलाल, मोहनलाल तथा सुआलाल के पक्ष मे स्वीकृत किया गया। इस प्रकार घीसाजी के समस्त पुत्रो का वादग्रस्त आराजी मे 1/6 हक–हिस्सा निहित था। उसके पश्चात घीसाजी के वारिसान सोहनलाल, श्यामलाल, मोहनलाल एवं सुआलाल के वारिसानो द्वारा अपने 4/6 हिस्से की कृषि भूमि जरिये रजिस्र्ड बेचाण द्वारा दिनांक 21.05.1988 को फुलीदेवी पत्नी रामदेव को पंजीयन बेचान द्वारा हस्तानांतरण कर दी गई, जिस पर फुलीदेवी का नाम 2/3 हिस्से मे दर्ज किया गया एवं म्यूटेशन संख्या 796 दिनांक 10.06.1988 को स्वीकृत किया गया। इस प्रकार उक्त खातेदारो द्वारा घीसा के वारिसान की हैसियत से प्राप्त हुई भूमि का हस्तानांतरण फुलीदेवी को कर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया। जो कि जमाबंदी संवत 2041 से 2044 मे दर्जशुदा हे। उसके पश्चात फुलीदेवी द्वारा उक्त 2/3 हिस्से की आराजी को मोडाराम व मिसरूराम को पंजीयन बेचाण से हस्तानांतरण कर दी गई, जिसका म्यूटेशन संख्या 877 दिनांक 25.05.1990 मोडाराम व मिसरूराम के नाम दर्ज किया गया। जो कि जमाबंदी संवत 2065 से 2068 मे दर्जशुदा है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद के अन्तर्गत उक्त सहखातेदारो(खरीददारो) को पक्षकार नहीं बनाया गया। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी मे 1/3 हिस्सा रामा व भंवरू का खातेदारी का रहा। वादग्रस्त आराजी मे 4/6 हिस्से के हिस्सेदार मोडाराम व मिसरूराम हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 05 द्वारा उक्त पुराने दस्तावेजो को बिना रेकर्ड पर लाये दस्तावेजो को छुपाकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पेश किया गया एवं वादग्रस्त आराजी मे 1/3 हिस्सा घीसा का बताकर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट के पूर्वज रामा द्वारा दिनांक 17.09.2022 को कोई राजीनामा पेश नहीं किया गया एवं न ही उक्त राजीनामे पर रामा द्वारा अपने हस्ताक्षर किये गये है। अपीलांट द्वारा उक्त अपील राजीनामे के विरूद्ध न होकर गुणवागुण पर पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। इसके अतिरिक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

रेस्पोडेन्टगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद वादग्रस्त आराजी मे घीसा का 1/3 हिस्सा पैतृक बताकर पेश किया गया। जबकि रेस्पोडेन्टगण द्वारा अपना हिस्सा पूर्व मे ही जरिये रजिस्टर्ड पंजीयन फुलीदेवी को बेचान कर दिया गया एवं फुलीदेवी द्वारा अपन हिस्सा मोडाराम व मिश्रीराम को बेचान कर दिया गया। इस कारण से वादग्रस्त आराजी मे रेस्पोडेन्ट का कोई हक–हिस्सा निहित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री प्रारम्भ से ही शून्य है। उक्त जैर अपील निर्णय व डिक्री की आड मे रेस्पोडेन्ट लक्ष्मी पत्नी मोहनलाल एवं श्यामलाल पुत्र घीसा द्वारा वादग्रस्त आराजी का हस्तानांतरण कमला पत्नी सोहनलाल को कर दिया गया। जिसका म्यूटेशन संख्या 2915 दिनांक 12.05.2015 को दर्ज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के पूर्वजो को सुनवाई का अवसर एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना फर्जी राजीनामे के आधार पर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने सर्वप्रथम धारा 5 परिसीमन अधिनियम पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटगण द्वारा उक्त अपील जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित किये जाने के लगभग 6 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है एवं अपने प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत उक्त विलम्ब का कोई युक्तियुक्त कारण दर्शित नहीं किया गया है। अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील म्याद बाहर होने से खारिज फरमाई जावे।

इसके पश्चात अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा अपील मे वर्णित तथ्यो को प्रत्युत्तर देते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 05 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी ग्राम बलाडा के खसरा नंबर 763 रकबा 14 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 772 रकबा 14 बीघा 6 बिस्वा एवं खसरा नंबर 1045 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा कुल रकबा 38 बीघा के संबध मे प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। वादग्रस्त आराजी अपीलांटगण एवं रेस्पोडेन्टगण पुश्तैनी आराजी है। वादग्रस्त आराजी घीसा पुत्र इमरताजी के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज थी। घीसा के देहान्त के पश्चात भवरू एवं रामा द्वारा मिलावट कर घीसा के नाम की 1/3 हिस्से

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

की आराजी अपने नाम राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज करवा दी गई। जबकि वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी होने से घीसा के देहान्त के पश्चात विधिक वारिसान के तौर पर अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टगण के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज की जानी चाहिये थी। किन्तु केवल मात्र भंवरू एवं रामा के नाम दर्ज की गईं। अपीलांट रामा के विधिक वारिसान है एवं रामा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रतिवादी था, जिसने रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 05 के साथ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.09.2012 को राजीनामा पेश किया। उक्त राजीनामे के आधार पर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलांटगण रामा के विधिक वारिसान होने से रामा द्वारा किये गये राजीनामे के आधार पर पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने से विबन्धित है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध भंवरू द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सी.पी.सी प्रस्तुत कर दावे मे पुनः सुनवाई करने हेतु अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणो को जरिये नोटिस तलब किया गया। उक्त मूल आवेदन के विचाराधीन रहते हुए आवेदक भंवरू की मृत्यु दिनांक 07.12.2018 को हो चुकी है। इस संबध मे आवेदन के विचाराधीन रहते हुए रेस्पोडेन्टगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 03.09.2019 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश कर निवेदन किया कि आवेदन भंवरू का देहान्त दिनांक 07.12.2018 को हो जाने के पश्चात भी आज दिनांक तक भंवरू के कायम मुकाम रेकर्ड पर लिये जाने बाबत कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिस कारण मूल प्रकरण अबेट होने से खारिज फरमाया जावे। उक्त आवेदन का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर भंवरू की पत्नी चांदा द्वारा एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2) सी.पी.सी दिनांक 22.10.2019 को प्रस्तुत कर कथन किया कि मूल आवेदक भंवरू ने अपनी मृत्यु के रोज ही प्रार्थीया के पक्ष मे वसीयत दिनांक 07.12.2018 को कर दी गई। इसलिये मृतक के स्थान पर प्रार्थीया को पक्षकार बनाया जावे। उक्त आवेदन का जवाब प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 (2) सी.पी.सी पर उभयपक्षो की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 19.03.2020 द्वारा आवेदन स्वीकार किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर रेस्पोडेन्टगण द्वारा माननीय मंडल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। जो माननीय राजस्व मंडल के समक्ष विचाराधीन है। वादग्रस्त आराजी अपीलांटगण एवं रेस्पोडेन्टगण की पुश्तैनी आराजी है। रेस्पोडेन्ट का

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

वादग्रस्त आराजी पर जन्म सिद्ध अधिकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के पूर्वज रामा द्वारा लिखित राजीनामे के आधार पर दस्तावेजात् का परीक्षण कर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नही है। अतः अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली सहित रेकर्ड का अवलोकन किया। प्रकरण मे सर्वप्रथम धारा 5 परिसीमन अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित समझते है। हस्तगत प्रकरण मे यह निर्विवाद सत्य है कि हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी ग्राम बलाडा के खसरा नंबर 763 रकबा 14 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 772 रकबा 14 बीघा 6 बिस्वा एवं खसरा नंबर 1045 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा कुल रकबा 38 बीघा घीसा पुत्र इमरताजी की खातेदारी आराजी थी एवं अपीलांटगण एवं रेस्पोडेन्टगण घीसा के विधिक वारिसान होने की हैसियत से वादग्रस्त आराजी मे पुश्तैनी हक–अधिकार निहित है। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.01.2015 को अपास्त कराने के लिए उक्त अपील दिनांक़ 15.07.2021 को न्यायालय हाजा के समक्ष लगभग 6 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत की गई है। रेस्पोडेण्ट अधिवक्ता ने इस पर आपत्ति व्यक्त करते हुए अपील को म्याद बाहर होना बताते हुए अपील खारिज कराने का निवेदन किया। जहां तक म्याद का प्रश्न है तो इस संम्बन्ध में विभिन्न प्रकरणों में तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण की परिस्थितियों पर म्याद को अवधारित किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मंडल द्वारा आर. आर. टी. 2004(2) पेज 698 में प्रतिपादित किया कि पक्षकारों के अधिकार मेरिट पर निर्णित करने चाहिये– तकनीकी आधारों पर पक्षकार को न्याय से वंचित नहीं करना चाहिये। इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय राजस्व मंडल द्वारा समय–समय पर अपने न्यायिक दृष्टान्तो मे यह प्रतिपादित किया गया है कि जहां प्रकरण मे सारवान बिन्दु निहित हो। ऐसे प्रकरणो केवल मात्र म्याद के बिन्दु पर निर्णीत किया जाना उचित नहीं है। अत उभयपक्षो की दलीलों एवं प्रकरण में निहित न्याय के सारभूत प्रश्नों के विनिश्चय हेतु अपील प्रस्तुत करने हुई देरी को कण्डोन किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। तद्नुसार अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 को स्वीकार किया जाता है, तथा अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अब जहां तक प्रकरण मे गुणवागुण पर निर्णय पारित किये जाने का प्रश्न है तो रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 05 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी ग्राम बलाडा के खसरा नंबर 763 रकबा 14 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 772 रकबा 14 बीघा 6 बिस्वा एवं खसरा नंबर 1045 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा कुल रकबा 38 बीघा के संबध मे प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी घीसा पुत्र इमरता की खातेदारी थी एवं घीसा के देहान्त के पश्चात वादग्रस्त आराजी खातेदारी मे 1/3 हिस्सा भवरू एवं रामा के नाम दर्ज हो गई। वादग्रस्त आराजी के वादीगण भी कब्जेदार व हिस्सेदार है। इस कारण से 1/3 हिस्से मे घीसा के पुत्र सोहन, श्यामलाल, सुआलाल व मोहनलाल का नाम रेकर्ड दुरूस्त कर दर्ज किया जावे। वादी सुआलाल एवं मोहनलाल का देहान्त हो जाने से वादी 02 व 03 सुआलाल के वारिसान एवं वादी संख्या 04 लक्ष्मी मोहनलाल की पत्नी होने के नाते उसकी वारिसान है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणो को सम्मन जारी किये जाने का आदेश प्रदान किया गया। उसके पश्चात भवरू के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपीलांट के पूर्वज रामा की ओर से राजीनामे के आधार पर वाद को बहक वादी डिक्री किया गया। हस्तगत प्रकरण मे यह निर्विवाद सत्य है कि हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी ग्राम बलाडा के खसरा नंबर 763 रकबा 14 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 772 रकबा 14 बीघा 6 बिस्वा एवं खसरा नंबर 1045 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा कुल रकबा 38 बीघा घीसा पुत्र इमरताजी की खातेदारी आराजी थी एवं घीसा के देहान्त के पश्चात उसके विधिक वारिसान भवरू, रामा, सोहन, श्यामलाल तथा मोहनलाल व सुआलाल हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 05 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो खातेदारी का वाद प्रस्तुत किया गया उक्त वाद के अन्तर्गत घीसा की खातेदारी भूमि उसके देहान्त के पश्चात भंवरू एवं रामा के नाम दर्ज होना बताते हुए खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। अब प्रकरण में मुख्य बिन्दु यह प्रकट होता है कि क्या हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी घीसा के देहान्त के पश्चात केवल मात्र भंवरू एवं रामा के नाम ही दर्ज हुई अथवा अन्य समस्त विधिक वारिसान के नाम दर्ज हुई ? इस संबध मे अपीलांट अधिवक्ता द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष जमाबंदी संवत 2041 से 2044 प्रस्तुत की गई है। उक्त जमाबंदी अनुसार घीसा के फौत होने के पश्चात नामांतरण संख्या 695 दिनांक 02.05.1985 को संपूर्ण वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पति होने से घीसा के तमाम वारिसान भवरू, रामा, सोहन, श्यामलाल तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

मोहनलाल व सुआलाल के नाम नामांतरण स्वीकृत किया गया एवं नामान्तरण स्वीकृति के दौरान सुआलाल का देहान्त हो जाने से उसके पुत्र रमेश के नाम नामांतकरण स्वीकृत हुआ। उक्त नामान्तरण की पुष्टि जमाबंदी संवत 2041 से 2044 से पूर्णतया प्रमाणित है। उसके पश्चात घीसाजी के वारिसान रेस्पोडेन्ट सोहनलाल, श्यामलाल, मोहनलाल एवं सुआलाल के पुत्र रमेश कुल 4 हिस्सेदारो द्वारा वादग्रस्त आराजी मे अपने 4/6 हिस्सा यानि 2/3 हिस्से की कृषि भूमि जरिये रजिस्र्ड बेचाण द्वारा दिनांक 21.05.1988 को फुलीदेवी पत्नी रामदेव को पंजीयन बेचान द्वारा हस्तानांतरण कर दी गई, जिस पर फुलीदेवी का नाम 2/3 हिस्से मे दर्ज किया गया एवं म्यूटेशन संख्या 796 दिनांक 10.06.1988 को स्वीकृत किया गया। जो कि अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2041 से 2044 से पूर्णतया प्रमाणित है। उसके पश्चात फुलीदेवी द्वारा उक्त 2/3 हिस्से की आराजी को मोडाराम व मिसरूराम को पंजीयन बेचाण से हस्तानांतरण कर दी गई, जिसका म्यूटेशन संख्या 877 दिनांक 25.05.1990 मोडाराम व मिसरूराम के नाम दर्ज किया गया। जो कि जमाबंदी संवत 2065 से 2068 से पूर्णतया प्रमाणित है। इसके अतिरिक्त अपीलांट अधिवक्ता द्वारा रेस्पोडेन्ट सोहनलाल, श्यामलाल, मोहनलाल एवं सुआलाल के पुत्र रमेश द्वारा वादग्रस्त आराजी का अपने हिस्से तक किये गये विक्रय–विलेखो की फोटोप्रतियां हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। उक्त समस्त दस्तावेजो से यह पूर्णतया प्रमाणित होता है कि घीसा के फौत होने के पश्चात नामांतरण संख्या 695 दिनांक 02.05.1985 के जरिये संपूर्ण वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पति होने से घीसा के तमाम वारिसान भवरू, रामा, सोहन, श्यामलाल तथा मोहनलाल व सुआलाल के नाम नामांतरण स्वीकृत किया गया एवं नामान्तरण स्वीकृति के दौरान सुआलाल का देहान्त हो जाने से उसके पुत्र रमेश के नाम नामांतकरण स्वीकृत हुआ। उसके पश्चात घीसाजी के वारिसान रेस्पोडेन्ट सोहनलाल, श्यामलाल, मोहनलाल एवं सुआलाल के पुत्र रमेश कुल 4 हिस्सेदारो द्वारा वादग्रस्त आराजी मे अपने 4/6 हिस्सा यानि 2/3 हिस्से की कृषि भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेचाण द्वारा दिनांक 21.05.1988 को फुलीदेवी पत्नी रामदेव को पंजीयन बेचान द्वारा हस्तानांतरण कर दी गई, जिस पर फुलीदेवी का नाम 2/3 हिस्से मे दर्ज किया गया एवं म्यूटेशन संख्या 796 दिनांक 10.06.1988 को स्वीकृत किया गया। उसके पश्चात फुलीदेवी द्वारा उक्त 2/3 हिस्से की आराजी को मोडाराम व मिसरूराम को पंजीयन बेचाण से हस्तानांतरण कर दी गई, जिसका म्यूटेशन संख्या 877 दिनांक 25.05.1990 मोडाराम व मिसरूराम के नाम दर्ज किया गया। रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

सहखातेदारो को भी अपने वाद के अन्तर्गत पक्षकार नहीं संयोजित नहीं किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 05 द्वारा अपनी पैतृक सम्पति पूर्व मे ही बेचान किये जाने के फलस्वरूप वादग्रस्त आराजी मे किसी प्रकार से कोई हक–हिस्सा निहित नहीं था। किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 05 द्वारा घीसा के फौतगी म्यूटेशन एवं उसके पश्चात की जमाबंदी संवत 2041–2044 नहीं कर उक्त दस्तावेजी साक्ष्यो को छुपाकर जमाबंदी संवत 2065–2068 के आधार पर सहखातेदारो को पक्षकार संयोजित नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी मे अपना पैतृक हिस्सा बताते हुए खातेदारी घोषित कराने बाबत वाद प्रस्तुत कर विधि विरूद्ध जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित करवाई गई है। जो कि हाजा न्यायालय की राय मे उचित प्रतीत नहीं होती है।

इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता द्वारा प्रकरण मे दौरान बहस यह बिन्दु उठाया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री राजीनामे के आधार पर पारित की गई है। इस संबध मे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने विनिर्णय 1996 डी.एन.जे (राज.) गोपाललाल बनाम बाबुलाल एवं माननीय राजस्व मंडल द्वारा अपने विनिर्णयो अपील संख्या 31/1982 बउनवान जहूर बेग बनाम जोरावरसिंह, अपील संख्या 237/85 श्रीमति गणेशी बनाम लादूराम के अन्तर्गत राजीनामा के विरूद्ध अपील होने के सिद्धान्त को प्रतिपादित किया गया है। किन्तु यहां यह बताना होगा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री मौखिक साक्ष्यो के आधार पर पारित की गई है या दस्तावेजी साक्ष्यो के आधार पर। इस संबध हस्तगत प्रकरण मे अपीलांटगण द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष यह कथन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट के पूर्वज रामा द्वारा दिनांक 17.09.2022 को कोई राजीनामा पेश नहीं किया गया एवं न ही उक्त राजीनामे पर रामा द्वारा अपने हस्ताक्षर किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस संबध मे दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया। केवल मात्र मौखिक साक्ष्यो के आधार पर बिना तनकीयात कायम किये अपीलांट द्वारा तथ्य छुपाकर पेश किये गये दावे के आधार पर जैर अपील आलोच्य निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे बिना तनकीयात कायम किये, बिना दस्तावेजी साक्ष्यो का अवलोकन किये जैर अपील आलोच्य निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि हाजा न्यायालय की राय मे उचित प्रतीत नहीं होती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। सहायक कलक्टर जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 144/2012 बउनवान सोहन बनाम भवरू मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.01.2015 को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण सहायक कलेक्टर जैतारण को इस निर्देशो के साथ प्रेतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो का पूर्ण अवलोकन किया जाकर उभयपक्षो को साक्ष्य, सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पारित करे। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 15.06.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15.06.2023

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर
(अतिरिक्त कार्यभार पाली)

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली